आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में

उपायुक्त–सह–जिलादण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह
(Email id-dccourt.grd@gmail.com)
रैयती मान्यता वाद सं0–02/2020–21/2/2023
आनन्द मोहन प्रसाद बनाम राज्य
आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

03.11.23

अभिलेख उपस्थापित। अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 3017 दिनांक 28.12.2022 द्वारा रैयती मान्यता से संबंधित निम्न न्यायालय अभिलेख (रैयती मान्यता वाद) सं0 02/2021–22 आनन्द मोहन प्रसाद बनाम राज्य मूल रूप में अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।
वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है।

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	थाना नं0	रकवा
बोडो	01	1011/1	91	36 डी0

वादगत भूमि की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है।

अंचल गिरिडीह में स्थित मौजा–बोड़ो, थाना नं0–91, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–1011/1, रकवा–36 डी0 भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित किया गया है जिसमें पूर्व से आनन्द मोहन प्रसाद दखलकार थे तथा उक्त प्लॉट के कुल 1.00 एकड़ भूमि का लगान रसीद 1978–79 से 2017–18 तक निर्गत है, आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद से स्पष्ट होता है कि लगान रसीद 1954–55 से निर्गत होता आ रहा है।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह के आदेश में उल्लेखित है कि अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के ज्ञापांक 744/रा0 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा प्राप्त सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 334/रा0 दिनांक 14.05.2009 के कण्डिका 2(ii) के अन्तर्गत अधियाचना तिथि से 30 (तीस) वर्षो से अधिक की अवधि से दखलकार पाये गये एवं जोत–आबाद कर रहे व्यक्तियों जिनके नाम से पंजी–II में 30 वर्षो से अधिक जमाबंदी चल रही है उन्हे कायमी रैयत के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि के अनुमान्य परियोजना के खर्च पर दिये जाने का निदेश प्राप्त है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सभी बिन्दुओं पर सुना गया।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह के आदेश दिनांक 30/12/2020 में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है।

1. मौजा –बोडो, खाता नं0–78 में भिन्न–भिन्न कुल प्लॉट 40 कुल रकवा–7.90 एकड़, खाता नं0–63 में कुल प्लॉट 2 कुल रकवा–2.72 एकड़ एवं खाता नं0–1 प्लॉट नं0–1011/1, रकवा–1 एकड़ एवं अन्य प्लॉट 6 कुल रकवा 5.57 एकड़, तीनों खाता में कुल रकवा–16.29 एकड़ आवेदक मोहन प्रसाद की माँ सरलामई देवी दोख्तर कुलदीप सहाय को दिनांक 10.03.1941 द्वारा बाबु करतार सिंह वो बाबु प्रताप सिंह पेशरान बाबु राम सिंह से हुकुमनामा से हासिल है।

2. उक्त भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0 109 भो0 III में आवेदक आनन्द मोहन प्रसाद की माँ सरलामई देवी दोख्तर कुलदीप सहाय के नाम से खाता नं0 78, 1 एवं 63 कुल रकवा–16.29 एकड़ की जमाबन्दी कायम हुई लगान रसीद वर्ष 1955–56 से वर्ष 2017–18 तक निर्गत है।

3. वादगत भूमि खाता नं0 01, प्लॉट नं0–1011/1, रकवा–1 एकड़ के मद्धे 38 डी0 भूमि कोडरमा–गिरिडीह नई रेलवे लाईन परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया है। स्थल जाँचोपरान्त आवेदक वादगत भूमि पर दखलकार पाये गये।

4. वादगत भूमि खाता नं0–01, प्लॉट नं0–1011/1, रकवा–1 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

5. राजस्व निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के ज्ञापांक 334/रा0 दिनांक 14.05.2009 के कण्डिका 2(ii) के अन्तर्गत अधियाचना तिथि से 30 (तीस) वर्षो से अधिक अवधि से दखलकार पाये गये एवं जोत–आबाद कर रहे व्यक्तियों जिनके नाम से पंजी II में 30 वर्षो से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रही है उन्हें कायमी रैयती के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि परियोजना के खर्च पर दिये जाने का निदेश प्राप्त है।

6. राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार वादगत भूमि का हस्तांतरण 01.01.1946 के पूर्व वैध तरीके से की गयी है तथा 1954–55 से (लगभग 65 वर्षो से अधिक) जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है।

7. अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा उक्त प्लॉट सं0–1011/1 को संदिग्ध जमाबंदी के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है।

8. उक्त रैयती मान्यता प्रस्ताव विभागीय पत्रांक– 219 दिनांक– 24.05.2018 के आलोक में अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा समर्पित है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक–48/भू0सु0 दिनांक 01/02/2022, अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के द्वारा दिनांक–22/12/2022 को पारित आदेश एवं सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह से दिनांक–04/07/2023 को प्राप्त मंतव्य पत्र के द्वारा वादगत भूमि को अपीलार्थी के पक्ष में रैयती मान्यता प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है।

विचारण एवं निष्कर्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, एवं सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य सपष्ट होता है:–

1. सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 334/रा0 दिनांक 14.05.2009 के कंडिका 2(ii) के अन्तर्गत अधियाचना तिथि से 30 (तीस) वर्ष से अधिक की अवधि से दखलकार पाये गये जोत आबाद कर रहे व्यक्तियों जिनके नाम से पंजी –II में तीस वर्षो से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रही है, उन्हें कायमी रैयतो के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि का सम्तुल्य लाभ परियोजना के खर्च पर दिये जाने का निदेश प्राप्त है।

2. अंचल अधिकारी, गिरिडीह के द्वारा पारित आदेश के अनुसार वादगत भूमि का हस्तांतरण मध्यवर्ती के समय दिनांक 01.01.1946 के पूर्व वैध तरीके से की गई है। एक लम्बी अवधि वर्ष 1954–55 अर्थात 65 वर्षों से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत किया गया। जमीनदारी उन्मूलन की तिथि दिनांक 01.01.1946 ई0 के पूर्व हुकुमनामा द्वारा दिनांक 10.03.1941 को मौजा बोड़ो थाना नं0 91, खाता नं0 01, प्लॉट नं0 1011/1, रकवा 1.0 एकड़ भूमि प्रथम बार हस्तांतरित की गई है। सरकार से प्राप्त निदेश, राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के आलोक में वादगत भूमि मौजा बोडो, थाना नं0 91, खाता नं0 01, प्लॉट नं0 1011/1, रकवा 0.36 एकड भूमि की रैयती मान्यता हेतु अनुशंसा की गई है।
3. अंचल अधिकारी, गिरिडीह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह एवं अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश तथा सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह द्वारा उपलब्ध कराई गई मंतव्य नियम संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर प्रतिवेदित प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए अपीलार्थी आनन्द मोहन प्रसाद द्वारा दायर अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा वादगत भूमि मौजा–बोड़ो, थाना नं0–91, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–1011/1, रकवा–36 डी0 भूमि को रैयती मान्यता की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया जाता है कि गिरिडीह–कोडरमा नई रेलवे लाईन परियोजना हेतु अधिग्रहित अपीलार्थी के उक्त भूमि के मुआवजा भुगतान से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों मे व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

03.11.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

03.11.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 946 /न्या0 दिनांक 9/11/2023

प्रतिलिपिः– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

03.11.23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2023.12.13 17:31:31 +05:30
Location: 192.168.0.123